FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0089 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/05/2024 14:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 14/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 17/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/05/2024 **Time (समय):** 13:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/05/2024 14:28:14 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 145 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** TAHSEL OFFICE BALI, DISTRICK PALI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** CHUNNILAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SARUPARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1984 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE CHIMNPURA, POST CHAMUNDEREE, BALI, PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VILLAGE CHIMNPURA, POST CHAMUNDEREE, BALI, PALI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-7690017153

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NARENDRA KUMAR		पिता:SONARAM	1. NEAR AGARWAL DHRAMSHALA,CHAMUNDEREE,BALI,PALI,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि आठ हजार रूपये	8,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण विषयः- रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाने के सम्बन्ध में। महोदयजी निवेदन इस प्रकार है कि में चुन्नीलाल पुत्र श्री सरूपाराम जाति मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी गांव चिमनपुरा पोस्ट चामुण्डेरी तह. बाली जिला पाली का रहने वाला हुं। मैं मेरा, मेरी बच्ची एवं मेरे पुत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मैने दिनांक 29.03.2024 को ईमित्र से ऑन लाइन आवेदन किया था में दिनांक 15.04.2024 को तहसील कार्यालय बाली में कार्यारत श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक से मेरे प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में मिला जिस पर श्री नरेन्द्रकुमार जी ने मेरे को कहा की आपके डोकोमेंट पुरे नही है पुरे डोकोमेंट लगाओ। जिस पर मेने मेरे व मेरे बच्चो के डोकोमेंट पुरे कर दिनांक 13.05.2024 को श्री नरेन्द्रकुमार जी से मिला व डोकोमेन्ट मैने उनको दिये तो उन्होने मेरे से कहा कि आपके व आपके बच्चो के प्रमाण पत्र जल्दी तैयार करवाने है तो खर्चा पानी देना पडेगा। जिस पर मेंने उनको कहा कि में गरीब आदमी हुं। तो श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक ने मेरे को कहा कि आपका काम तो 15000/- हजार रू. का है में तो आपके तीनो विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र 15000/.रू. में कर दूंगा। में मेरे व मेरे बच्चो के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की एवज में श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक को 15000/रू. रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। श्री नरेन्द्रकुमार से मेरा कोई लेन देन बकाया नही है और न हीं हमारी कोई आपसी रंजीश या अनबन है। रिर्पोट देता हुं कार्यवाही करावे। भवदीय -एसडी- चुन्नीलाल पुत्र श्री सरूपाराम जी मीणा नि0 गांव चिमनपुरा पोस्ट चामुणडेरी ते0 बाली जि. पाली मो.नं. 7690017153, 8949124293 दिनांक 14-5-2024 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि दिनांक 14.05.2024 को वक्त 12.30 पी.एम. परिवादी श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री सरूपाराम जाति मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी गांव चिमनपुरा पोस्ट चामुण्डेरी तह. बाली जिला पाली ने मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्त लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि मैं मेरा, मेरी बच्ची एवं मेरे पुत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मैने दिनांक 29.03.2024 को ईमित्र से ऑन लाइन आवेदन किया था में दिनांक 15.04.2024 को तहसील कार्यालय बाली में कार्यारत श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक से मेरे प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में मिला जिस पर श्री नरेन्द्रकुमार जी ने मेरे को कहा की आपके डोकोमेंट पुरे नही है पुरे डोकोमेंट लगाओ। जिस पर मेने मेरे व मेरे बच्चो के डोकोमेंट पुरे कर दिनांक 13.05.2024 को श्री नरेन्द्रकुमार जी से मिला व डोकोमेन्ट मैने उनको दिये तो उन्होने मेरे से कहा कि आपके व आपके बच्चो के प्रमाण पत्र जल्दी तयार करवाने है तो खर्चा पानी देना पडेगा। जिस पर मेंने उनको कहा कि में गरीब आदमी हुं। तो श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक ने मेरे को कहा कि आपका काम तो 15000/- हजार रू. का है में तो आपके तीनो विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र 15000/.रू. में कर दूंगा। में मेरे व मेरे बच्चो के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की एवज में श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक को 15000/रू. रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। श्री नरेन्द्रकुमार से मेरा कोई लेन देन बकाया नही है और न हीं हमारी कोई आपसी रंजीश या अनबन है व तकरीरन दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट मे लिखे तथ्य सही होना, स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जाकर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 14.05.2024 को वक्त 01.17 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ने अपने मोबाईल फोन से श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर से कॉल कर परिवादी के कार्यालय में उपस्थित आने एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यो के हालात निवेदन किये जाकर श्रीमान से रहबरी हासिल की गई। तत्पश्चात वक्त 01.30 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ने कार्यालय मे उपस्थित श्री रामकिशोर कानि. 13 को कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री रामकिशोर कानि.13 से परिवादी श्री चुन्नीलाल का आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकलवाकर परिवादी चुन्नीलाल एवं श्री रामकिशोर कानि को कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चलाना व बंद करने की समझाईस की जाकर परिवादी व श्री रामकिशोर कानि.के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। परिवादी श्री चुन्नीलाल ने बताया कि आज काफी समय हो चुका है। तहसील कार्यालय बाली पहुंचने में काफी समय लगेगा तथा हम पहुंचेगे तब तक तहसील कार्यालय बन्द हो जायेगा एवं श्री

नरेन्द्र कुमार जी अपने गांव चले जायेगे हमारे को मिलेगे नही वो कल दिनांक 15.05.2024 को दिन में मिल जायेंगे। जिस पर परिवादी श्री चुन्नीलाल के बताये अनुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन आईन्दा कल दिनांक 15.05.2024 को करवाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को समझाईस की गई कि आप कल दिनांक 15.05.2024 को दिन में तहसील कार्यालय बाली के आस-पास उपस्थित रहना आपके पास श्री रामकिशोर कानि. आयेगा तथा आप आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक की उपस्थिती का मालुमात कर श्री रामकिशोर कानि. से डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर श्री नरेन्द्रकुमार के पास जाकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु निर्देशित किया गया। वक्त 03.10 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री चुन्नीलाल को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने एवं कल दिनांक 15.05.2024 को श्री रामकिशोर कानि.13 के कस्बा बाली में उपस्थित आने पर श्री रामकिशोर कानि. से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने की हिदायत कर रवाना किया। वक्त 03.20 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रामकिशोर कानि. को कल दिनांक 15.05.2024 को 7.30 एएम पर कार्यालय में पहुंच कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से प्राप्त कर तहसील कार्यालय बाली पहुंच परिवादी से सम्पर्क रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 15.05.2024 को वक्त 07.30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय हाजा पर पहुंच कार्यालय में उपस्थित कानि. श्री रामकिशोर नं0 13 को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकालकर उसमे खाली होना सुनिश्चित कर उसमें नया मेमोरी कार्ड आरडी माईक्रो 8 जीबी कम्पनी का डालकर डिजिटल वॉयस रिकार्डर श्री रामकिशोर कानि.नं. 13 को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर तहसील कार्यालय बाली जिला पाली के लिए रवाना किया। तत्पश्चात वक्त 01.32 पी.एम. पर श्री रामकिशोर कानि. नं.13 ने अपने मोबाईल नम्बर 9269846641 से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल फोन पर कॉल कर अवगत करवाया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर कस्बा बाली पहुंचकर परिवादी श्री चुन्नीलाल से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क किया तो परिवादी श्री चुन्नीलाल मेरे को कस्बा बाली बस स्टेण्ड पर उपस्थित मिला। परिवादी ने मेरे को बताया कि श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक अपने कार्यालय तहसील बाली में ही है। जिस पर मैं व परिवादी वहां से रवाना होकर तहसील कार्यालय बाली के पास पहुंचकर मैने डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु कर परिवादी श्री चुन्नीलाल को सुपुर्द कर तहसील कार्यालय बाली के लिए रवाना किया तथा मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए तहसील कार्यालय बाली के आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री चुन्नीलाल तहसील कार्यालय बाली से वापस मेरे पास आया जिस पर मैने परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री चुन्नीलाल ने मेरे को बताया कि मेरी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक से मेरे व मेरे बच्चो के विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने की वार्ता हो गई एवं श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक ने मेरे से मेरे व मेरे बच्चो के विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने की एवज में 15000/-रू. की मांग की जिस पर मेरे द्वारा निवेदन करने पर 10,000/-रू. लेने हेतु सहमत हुआ है तथा 2000/- रूपये आज मेरे से लिये है तथा शेष राशि 8,000/- रूपये कल या परसो लेकर आने का कहा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि. श्री रामकिशोर को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर कार्यालय आने एवं परिवादी श्री चुन्नीलाल को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 17.05.2024 को मिलने एवं अब तक कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत देने हेतु निर्देशित किया गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। वक्त 06.20 पी. एम. पर श्री रामकिशोर कानि. नं. 13 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर स्विच ऑफ सुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया तथा हालात उपरोक्तानुसार निवेदन किये तथा यह भी बताया कि आपके निर्देशानुसार मैंने परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था करने एवं अग्रिम आदेश की प्रतिक्षा करने तथा गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर कस्बा बाली में छोडा जाकर कार्यालय पर उपस्थित आया हुं। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालु कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो संग्दिध आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक द्वारा परीवादी से दस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया एवं उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्राक्स्क्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया एवं हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गया। दिनांक 16.05.2024 को वक्त 5.22 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9829048627 से परिवादी श्री चुन्नीलाल के मोबाईल नम्बर 7690017153 पर कॉल कर संग्दिध आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार की उपस्थिति के बारे एवं रिशवत में दी जाने वाली राशि के बारे में वार्ता करने पर परिवादी ने बताया कि श्री नरेन्द्रकुमार कल दिनांक 17.05.2024 को अपने कार्यालय में उपस्थित रहेगे तथा रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था हो गई है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को कल दिनांक 17.05.2024 को सुबह 9.30 एएम पर कोसेलाव पुलिया साण्डेराव सुमेरपुर हाईवे के आस पास रिश्वत राशि सहित मिलने हेतु पाबन्द किया गया। तत्पश्चात वक्त 5.30 पी.एम. पर इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर ग्रामीण के नाम से पत्र तैयार कर दो स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध करवाने बाबत श्री रामकिशोर कानि. नम्बर 13 को सुपुर्द कर रवाना किया गया। वक्त 6.00 पी.एम पर श्री रामकिशोर कानि. नम्बर 13 कार्यालय हाजा पर दो कार्मिकों के उपस्थित आया जिस पर उक्त दोनों कार्मिको को मन् अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर दोनों कार्मिकों से उनका बारी-बारी से परिचय प्राप्त किया जाने पर श्री दीपक कडेल पुत्र श्री मधुसुदन जाति मेघवाल उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम आसोप तहसील भोपालगढ पुलिस थाना आसोप जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर ग्रामीण मोबाईल नम्बर 8890024732 एवं श्री कमलेश पुत्र श्री आईदान जाति नायक उम्र 29 वर्ष निवासी प्लोट नम्बर 104 सिविल एयरपोर्ट रोड पाबुपुरा पुलिस थाना एयरपोर्ट आयुक्तालय जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर ग्रामीण मोबाईल नम्बर 8561051610 होना बताया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी श्री चुन्नीलाल द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट का अवलोकन करवाया गया एवं उक्त रिपोर्ट दोनों कार्मिको को पढाई जाकर दोनों कार्मिको के रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दोनों कार्मिको को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास रखे कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर को निकाल कर उसमें संग्दिध आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार एवं परिवादी श्री चुन्नीलाल के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड किया गया था। उक्त रिकार्ड वार्ता के मुख्य मुख्य अंश रिकार्डर को चालु कर सुनाये गये। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने उक्त कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक स्वीकृति दी। डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखा। वक्त 6.50 पी.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक कडेल एवं श्री कमलेश को कल दिनांक 17.05.2024 को वक्त 6.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने एवं उक्त कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया। वक्त 7.00 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय हाजा में उपस्थित समस्त ब्यूरो जाब्ता को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु बिफ्रिंग कर कल दिनांक 17.05.2024 को वक्त 6.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 17.05.2024 को वक्त 7.15 ए.एम पर पूर्व से पाबन्दसुदा स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक कडेल एवं श्री कमलेश कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये एवं कार्यालय का ब्यूरो जाब्ता कार्यालय में उपस्थित है। वक्त 07.17 ए एम पर परिवादी श्री चुन्नीलाल ने अपने मोबाईल नम्बर 7690017153 से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9829048627 पर कॉल कर अवगत करवाया कि मैं श्री नरेन्द्र कुमार को रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर आपको समय करीब 9.30 एएम पर कोसेलाव पुलिया साण्डेराव सुमेरपुर हाईवे के आस पास उपस्थित मिल जाउगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत कर नियत स्थान पर उपस्थित मिलने हेतु पाबन्द किया गया। तथा कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोथफ्लीन पाउडर की शीशी निकलवा कर कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर ट्रेप कार्यवाही में साथ में चलने हेतु निर्देशित किया गया। अब तक के हालात उच्चधिकारियों को निवेदन किये गये। वक्त 7-35 एएम पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री दीपक कडेल, श्री कमलेश, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सउनि, श्री अचलाराम हैड कानि. 61, श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री अमरसिंह कानि. 415, रामकिशोर कानि. 13 श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक मय फिनोथफ्लीन पाउडर की शीशी एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 चालक श्री लाला राम ड्रा.कानि. 638 एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से बाली के लिए रवाना हुए। वक्त 10.15 एएम पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री दीपक कडेल, श्री कमलेश, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सउनि, श्री अचलाराम हैड कानि. 61, श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री अमरसिंह कानि. 415, रामकिशोर कानि. 13 श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक मय फिनोथफ्लीन पाउडर की शीशी एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 चालक श्री लाला राम ड्रा.कानि. 638 एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से रवाना शुदा कोसेलाव पुलिया साण्डेराव सुमेरपुर हाईवे के पास पहुच सरकारी एवं निजी वाहनो को पुलिये के किनारे सुरक्षित गोपनीय स्थान पर खडे करवाये गये। परिवादी श्री चुन्नीलाल के आने के इन्तजार में मुकिम हुए। वक्त 10.25 ए एम पर पूर्व से पाबन्द सुदा परिवादी श्री चुन्नीलाल अपनी निजी मोटरसाईकिल के उपस्थित आया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री चुन्नीलाल का परिचय उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक कडेल व श्री कमलेश से बारी-बारी से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के समक्ष रिश्वत राशि के बारे पूछने पर परिवादी श्री चुन्नीलाल ने बताया कि श्री नरेन्द्रकुमार को दी जाने वाली रिश्वत राशि 8,000/- रूपये मैं अपने साथ लेकर आया हुं जो मेरे पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखी है। वक्त 10.35 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री चुन्नीलाल को रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा जाने पर परिवादी श्री चुन्नीलाल ने अपनी पहनी हुई पेन्ट के सामने की बांयी जेब से निकाल कर आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार को दी जाने वाली रिश्वती राशि 8,000/-रू 500-500 रू. के कुल 16 नोट रूबरू गवाहान के प्रस्तुत किये जाने पर उपरोक्त नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी भारतीय मुद्रा के नोट नंबर एवं सुपुर्दगी मे अंकित किये गये। जिनके नम्बर निम्नानुसार हैः- 1-500 रूपये का एक नोट नम्बर - 3GM 154115 2-500 रूपये का एक नोट

नम्बर- 2AB 362508 3-500 रूपये का एक नोट नम्बर- 6AN 929734 4-500 रूपये का एक नोट नम्बर-3QT 736014 5-500 रूपये का एक नोट नम्बर-1PR 718842 6-500 रूपये का एक नोट नम्बर-0DM 393037 7-500 रूपये का एक नोट नम्बर-3WR 544207 8-500 रूपये का एक नोट नम्बर-1NP 869439 9-500 रूपये का एक नोट नम्बर-4QD 245554 10-500 रूपये का एक नोट नम्बर-4GR 954266 11-500 रूपये का एक नोट नम्बर-2FR 259445 12-500 रूपये का एक नोट नम्बर-8CW 274240 13-500 रूपये का एक नोट नम्बर-8CW 274238 14-500 रूपये का एक नोट नम्बर-9NT 530978 15-500 रूपये का एक नोट नम्बर-9AS 518698 16-500 रूपये का एक नोट नम्बर-8NE 522064 उपरोक्त सभी नोटो पर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से सरकारी वाहन के बोनट पर एक पुराना अखबार बिछवाया जाकर अखबार पर उक्त नोटो का रखवाया जाकर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक द्वारा अपने साथ लाई फिनोफथलीन पाउडर की शीशी में से फिनोफथलीन पाउडर निकाल कर उक्त नोटो पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात उक्त सभी नोटो को परिवादी श्री चुन्नीलाल की जेब में रखवाने से पूर्व स्वतंत्र गवाह श्री दीपक कडेल से परिवादी की जामा तलाशी लिवाई गई तो परिवादी के पास अपने मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई राशि या दस्तावेज इत्यादि नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से उक्त रिश्वती राशि 8,000/- रूपये परिवादी श्री चुन्नीलाल के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखवाई जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई की उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त नोटो को रास्ते में नहीं छुएं तथा आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार के मांगने पर ही उक्त राशि जेब से निकाल कर उन्हे देवे। रिश्वत राशि आरोपी को देने से पूर्व एवं पश्चात आरोपी से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की जरूरत पडे तो दूर से ही हाथ जोड कर अभिवादन कर लेवे। तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात कहा पर रखता है उसकी पूर्ण जानकारी रखी जावे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई की आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने के पश्चात मोबाईल फोन से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/ कॉल कर या अपने दोनों हाथ सिर पर आगे से पिछे की तरफ दो तीन बार फेरकर गोपनीय ईशारा करे ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वत राशि के आदान प्रदान होने के सम्बध में पता चल सके। स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जंहा तक सम्भव हो सके अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती राशि के आदान प्रदान को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे तत्पश्चात एक साफ कांच की गिलास को ट्रेप बॉक्स में से निकाल कर साफ पीने का पानी बोतल से भरवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाया जाकर उस घोल को देखा गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कॉच के गिलास के उक्त रंगहीन घोल में रिश्वति राशि पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक के हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को उक्त घोल में डुबोकर धुलाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई की जो भी व्यक्ति इन फिनोफथलीन पाउडर युक्त नोटो को हाथ लगायेगा तो उस व्यक्ति के हाथो की अंगुलियों व अंगुठे को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा। जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात दृष्टांत के उपयोग मे लिये गये गुलाबी घोल को सडक के किनारे फिंकवाया जाकर नष्ट करवाया गया तथा उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। उपयोग में ली गई कॉच की गिलास, ट्रेप सामग्री यादि को भी साबुन व साफ पानी से अच्छी तरह दो बार धुलवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात समस्त ब्यूरो टीम, स्वतंत्र गवाहान के हाथ साफ पानी से धुलवाये जाकर समस्त ट्रेप पार्टी व गवाहान की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल के पास विभागीय परिचय पत्र एवं अपना-अपना मोबाईल फोन तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास खर्चे हेतु 3000/- रूपये रहने दिए गये इसके अलावा किसी के पास आपतिजनक राशि, वस्तु नही रहने दी गई। श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी सुपर्द कर वहीं से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिए पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया। वक्त 11.40 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर का खाली होना सुनिश्चित कर श्री रामकिशोर कानि. को सुपर्द कर परिवादी श्री चुन्नीलाल के साथ परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से तहसील कार्यालय बाली के लिए आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाह, ब्यूरो जाब्ता के हमराहान सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री लालाराम नम्बर 638 एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन मय ट्रेप बॉक्स, प्रिन्टर, लेपटॉप एवं परिवादी के कार्य से सम्बधित दस्तावेज के कोसेलाव पुलिया साण्डेराव सुमेरपुर हाईवे के पास से तहसील कार्यालय बाली के लिए रवाना हुए। वक्त 12.10 पी एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाह, ब्यूरो जाब्ता के हमराहान सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री लालाराम नम्बर 638 एवं निजी वाहन मय ट्रेप बॉक्स, प्रिन्टर, लेपटॉप एवं परिवादी के कार्य से सम्बधित पत्रावली के तहसील कार्यालय बाली के आस-पास वाहनों को रोड के साईड में एक तरफ गोपनीय स्थान पर खडे करवाये गये इसी दौरान परिवादी श्री चुन्नीलाल एवं श्री रामकिशोर कानि. मोटरसाईकिल से उपस्थित आये जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रामकिशोर कानि से कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू करवा कर परिवादी श्री चुन्नीलाल को सुपर्द करवाया जाकर पैदल ही तहसील कार्यालय बाली के लिए रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं अन्य ब्यूरो जाब्ता तहसील

कार्यालय में अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम रहे। वक्त 12.30 पी एम पर परिवादी श्री चुन्नीलाल ने पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा अपने हाथ से दो बार आगे से पीछे की और सिर पर फेर कर किया जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व हमरा ब्यूरो जाब्ता द्वारा देखा गया। जिस पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उक्त दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री दीपक कडेल व श्री कमलेश, ब्यूरो दल के सदस्य मेघराज स.उ.नि., श्री अचलाराम हैड कानि. 61, श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री रामकिशोर कानि. 13, श्री बचनाराम कानि. 447 हमराह लेकर तहसील कार्यालय बाली मे प्रवेश हुआ तो तहसील कार्यालय के बरामदे मे परिवादी श्री चुन्नीलाल खडा मिला जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को पूर्व मे दिया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अपने पास रखा जाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता का आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान परिवादी ने तहसील कार्यालय बाली के पीछे की तरफ से आते हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह आ रहा व्यक्ति ही श्री नरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक हैं जिन्होने अभी मेरे को तहसील कार्यालय भवन के पीछे की तरफ बने एक भवन मे बरामदे मे ले जाकर मेरे से मांग कर 8,000/- रुपये प्राप्त कर, गिनकर अपने पहनी हुई जिन्स पैन्ट की पीछे की दाहिनी जेब मे रखे हैं। इसी दौरान उक्त व्यक्ति चलता हुआ तहसील कार्यालय के बरामदे मे जहां पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय हमराहियान व परिवादी खडे थे के पास पहुंचने पर उक्त व्यक्ति को रोका जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय दोनो गवाहान व ब्यूरो टीम का परिचय दिया जाकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री नरेन्द्रकुमार पुत्र श्री सोनाराम जाति मेघवाल उम्र 29 साल पेशा नौकरी निवासी अग्रवाल घर्मशाला के पास चामुण्डेरी पुलिस थाना नाणा तहसील बाली जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार बाली जिला पाली होना बताया। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की चुन्नीलाल तरफ ईशारा कर श्री नरेन्द्र कुमार को पूछा गया कि आप इसे जानते हो जिस पर श्री नरेन्द्रकुमार ने रुबरु गवाहान के बताया कि यह श्री चुन्नीलाल मीणा हैं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री नरेन्द्रकुमार से पूछा गया कि आपने अभी-अभी परिवादी श्री चुन्नीलाल मीणा से किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त की हैं तथा श्री चुन्नीलाल का आपके पास विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र से संबंधित कोई कार्य विचाराधीन हैं के बारे मे पूछने पर श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक ने बताया कि हां मैने अभी तहसील कार्यालय के पीछे बने हुए रिकॉर्ड रुम भवन के बरामदे मे ले जाकर श्री चुन्नीलाल से उसका व उसके दो बच्चो के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की एवज मे 8,000/- रुपये प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब मे रखे हैं तथा श्री चुन्नीलाल के तीनो विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रथम स्तरीय सत्यापन होना शेष हैं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री नरेन्द्रकुमार से पूछा गया कि आपने परिवादी श्री चुन्नीलाल से आज से पहले भी कोई राशि ली थी जिस पर श्री नरेन्द्रकुमार ने बताया कि श्री चुन्नीलाल आज से दो दिन पहले मेरे कार्यालय मे आया था तथा अपने विशेष मूल निवास प्रमाण पत्रो के बारे वार्ता कर मुझे 2,000/- रुपये देकर गया था। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी से यह पैसे किसके लिए है के बारे में पूछने पर श्री नरेन्द्रकुमार ने उक्त राशि स्वंय के लिए लेना बताया एवं कंहा कि साहब मेरे से गलती हो गई हैं माफ कर दो। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथ कलाईयों के उपर से ब्यूरो जाब्ता से पकड़वाया गया। चूंकि उक्त स्थान तहसील कार्यालय होकर कार्यालय मे भीड़भाड़ अधिक होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने में बाधा उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है। अतः अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना बाली जिला पाली मे करने का निर्णय लिया जाकर आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार को यथा स्थिति में ही सरकारी बोलेरो वाहन में बैठाकर, परिवादी श्री चुन्नीलाल व श्री रामकिशोर कानि. को मोटर साईकिल से पुलिस थाना बाली पहुचने की हिदायत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज स.उ.नि., श्री अचलाराम हैड कानि. श्री रामकुमारसिह कानि., श्री ओमप्रकाश कानि., श्री बचनाराम कानि., श्री अमरसिह कानि. मय सरकारी व निजी वाहन से तहसील कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना बाली जिला पाली पहुचा। इस दौरान परिवादी श्री चुन्नीलाल व श्री रामकिशोर कानि. भी पुलिस थाना बाली उपस्थित आये। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना हाजा मे डी.ओ ड्युटी पर उपस्थित श्री सुरजाराम हैड कानि. 838 को अपना व हमराहियान का परिचय देकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना पर करने की सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात थाना हाजा के द्वितीय थानाधिकारी कक्ष मे पहुच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में दो साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकालकर दोनो गिलास मे पुलिस थाना के कैम्पर से पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा दोनों गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी धोवन को आधा-आधा दो कांच की साफ शिशियो मे भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित किया गया। उक्त दूसरी प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार के दाहिने हाथ

की अंगूलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे सभी उपस्थितान ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गुलाबी धोवन को भी दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क आरएच-1, आरएच-2 अंकित किया गया। स्वतन्त्र गवाह श्री दीपक कडेल से आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8,000/- रुपये पाये गये। जिस उक्त राशि के अतिरिक्त उक्त जिन्स पेन्ट की किसी भी जेब में अन्य कोई राशि, दस्तावेज अथवा अन्य सामान नहीं पाया गया। स्वतन्त्र गवाह श्री कमलेश को इस प्रकरण से संबंधित पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वति राशि देकर उक्त बरामदा नोटों के नम्बरों का मिलान स्वतन्त्र गवाह श्री दीपक कडेल द्वारा बोल बोलकर करवाया गया तो उक्त नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त बरामद रिश्वति राशि को एक सफेद कपड़े में कोने से सिलाई कर सील चिट कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक के पहनने हेतु एक लॉअर की व्यवस्था करवाई जाकर आरोपी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट को उतरवाकर उक्त लॉअर पहनाया गया । तत्पश्चात एक प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर पुलिस थाना के कैम्पर से साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त साफ पानी से भरी गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी की उक्त जिन्स पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर उक्त रंगहीन घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो उक्त रंगहीन घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गुलाबी धोवन को दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया गया तथा उक्त जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर जिन्स पेन्ट को कपड़े के पैकेट मे डालकर पैकेट पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर सील्ड मोहर कर पैकेट पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये व पैकेट पर मार्क-पी अंकित किया गया। परिवादी श्री चुन्नीलाल के व उनके बच्चो के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित पत्रावली इस ट्रेप प्रकरण से संबंधित होने से उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार को परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेजात के बारे मे पूछने पर आरोपी ने बताया कि विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑन लाईन आवेदन किया जाता हैं श्री चुन्नीलाल द्वारा भी उक्त प्रमाण पत्रो के लिये ऑन लाईन आवेदन किये हुए जो मेरे द्वारा प्रथम स्तरीय सत्यापन किया जाकर एस.डी.एम कार्यालय को फॉरर्वड करना था जो मेरे द्वारा अभी तक नही किया गया हैं। श्री चुन्नीलाल के तीनो प्रमाण पत्रो से संबंधित दस्तावेजात मेरे कार्यालय से ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकते है। जिस पर आइन्दा परिवादी श्री चुन्नीलाल एवं उनके दोनो बच्चो के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्रो से संबंधित दस्तावेजात ऑन लाईन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। ट्रेप कार्यवाही मे बरामद हुई रिश्वति राशि 8000/- रूपये, आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथो के धोवन की शिशियां, आरोपी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब के धोवन की शीशीयां एवं आरोपी की जिन्स पेन्ट को कपड़े के पैकेट में डालकर सील मोहर किया गया। आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार बाली जिला पाली से की गई पूछताछ व हाथ धोवन एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार बाली जिला पाली द्वारा परिवादी श्री चुन्नीलाल के व उनके दोनो बच्चो का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र प्रथम सत्यापन कर अग्रिम कार्यवाही एस.डी.एम. कार्यालय बाली जिला पाली को ऑनलाईन फॉरर्वड करने की ऐवज में दिनांक 15.05.2024 को परिवादी से, 2,000/- रुपये वक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन के दौरान तथा आज दिनांक 17.05.2024 को वक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान 8,000/- रूपये रिश्वति राशि की मांग कर प्राप्त करना पाया गया है। आरोपी का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित 2018) अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी अलग से तैयार कर शामिल रंनिग नोट की गई। वक्त 3.25 पी एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दस्तीयाब सुदा आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक, आरोपी के लिये गये धोवनों की शील्ड सुदा शीशीयां एवं पेन्ट का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वति राशि इत्यादि प्रार्दश एवं ट्रेप बॉक्स को श्री अचलाराम हैड कानि. 61 के हवाले कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक कडेल व श्री कमलेश, श्री मेघराज सउनि एवं परिवादी श्री चुन्नीलाल तथा ब्यूरो जाब्ता के सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री लालाराम 638 के घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु तहसील कार्यालय बाली की तरफ रवाना हुआ। वक्त 3.35 पी एम पर इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा के रवाना सुदा तहसील कार्यालय बाली पहुंचकर परिवादी की निशादेही के अनुसार फर्द घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब करना शुरू किया। वक्त 4.20 पी एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक कडेल व श्री कमलेश, श्री मेघराज सउनि एवं परिवादी श्री चुन्नीलाल तथा ब्यूरो जाब्ता के सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री लालाराम 638 के घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट किया गया। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल के अनुसार रिश्वति राशि लेन-देन प्राप्ति स्थल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय एक स्वतंत्र गवाह की दूरी

करीब 70 मीटर, शेष ब्यूरो स्टाफ की दूरी क्रमशः 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर एवं 100 मीटर होना दर्शायी गई है तथा घटनास्थल का निरीक्षण के दौरान पूर्ण रोशनी थी। आरोपी के सेवा विवरण एवं परिवादी के कार्य से सम्बधित दस्तावेजात उपलब्ध करवाने बाबत जरिये पत्राक एसपी-1 व एसपी-2 दिनांक 17.05.2024 द्वारा उपलब्ध करवाने हेतु जारी किया गया। एवं आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार की आवाज की पहचान हेतु दो साथी कर्मचारी को पुलिस थाना बाली भिजवाने हेतु श्री जितेन्द्रसिंह तहसीलदार बाली को निर्देशित किया गया। ताबाद घटना मौका स्थल से रवाना होकर पुलिस थाना बाली उपस्थित आया तथा दस्तीयाब सुदा आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक, आरोपी के लिये गये धोवनों की शील्ड सुदा शीशीयां एवं पेन्ट का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वति राशि इत्यादि प्रार्दश एवं ट्रेप बॉक्स को श्री अचलाराम हैड कानि. 61 से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने जिम्मे लिया। वक्त 4.30 पी एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रूबरू, परिवादी, स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री चुन्नीलाल एवं आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक के मध्य दिनांक 17.05.2024 को हुई रूबरू रिश्वति राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी अभिरक्षा से निकालकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेप-टॉप से जोडकर लेप-टॉप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर श्री रामकिशोर कानि. 13 की सहायता से रिश्वति राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड वार्ता की श्री रामकिशोर कानि. 13 से कार्यालय के लेप-टॉप मे कॉपी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेप-टॉप की मदद से एक अन्य मैमोरी कार्ड तैयार करवाया गया। उक्त मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। रिश्वति राशि वक्त लेन-देन वार्ता 8 जीबी के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी जो कुल वार्ता 19.6 एम.बी. की है तथा शेष मैमोरी कार्ड खाली है। उक्त मैमोरी कार्ड डिजिटल वाईस रिकार्डर मे से बाहर निकाल कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। जिसकी फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार कर शामिल रंनिग नोट की गई। वक्त 5.20 पी एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रूबरू, परिवादी, स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री चुन्नीलाल एवं आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक के मध्य दिनांक 15.05.2024 को हुई रूबरू रिश्वति राशि माग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त मैमोरी कॉर्ड को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी अभिरक्षा से निकालकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे डाल कर रूबरू गवाहान व परिवादी के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेप-टॉप से जोडकर लेप-टॉप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर श्री रामकिशोर कानि.13 की सहायता से रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड वार्ता की श्री रामकिशोर कानि. 13 से कार्यालय के लेप-टॉप मे कॉपी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेप-टॉप की मदद से एक अन्य मैमोरी कार्ड तैयार करवाया गया। उक्त मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता 8 जीबी के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी जो कुल वार्ता 41.5 एम. बी. की है तथा शेष मैमोरी कार्ड खाली है। उक्त मैमोरी कार्ड डिजिटल वाईस रिकार्डर मे से बाहर निकाल कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। जिसकी फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार कर शामिल रंनिग नोट की गई। वक्त 7.00 पी एम पर मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार पुत्र श्री सोनाराम जाति मेघवाल उम्र 29 साल पेशा नौकरी निवासी अग्रवाल घर्मशाला के पास चामुण्डेरी पुलिस थाना नाणा तहसील बाली जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार बाली जिला पाली से की गई पूछताछ व हाथ धोवन कार्यवाही एवं आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार के पहनी हुई जिन्स पेन्ट जिसकी पीछे की दाहिनी जेब से रिश्वति राशि बरामद होना जिसका लिया गया धोवन एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार द्वारा परिवादी श्री चुन्नीलाल एवं उनके दोनो बच्चो के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रथम स्तरीय सत्यापन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु एस.डी.एम. बाली को ऑन लाईन फॉरर्वड करने की एवज मे आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक द्वारा वक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री चुन्नीलाल से 8,000/- रूपये रिश्वति राशि मांग कर प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखना, जो रिश्वति राशि आरोपी की पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार पुत्र श्री सोनाराम जाति मेघवाल उम्र 29 साल पेशा नौकरी निवासी अग्रवाल घर्मशाला के पास चामुण्डेरी पुलिस थाना नाणा तहसील बाली जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार बाली जिला पाली को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। अब तक ट्रेप कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं। आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक के विरुद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जानी हैं। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथो एवं उनके

पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से लिये गये धोवनो का प्रादर्श क्रमशः आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पी-1, पी-2, एवं जिन्स पेन्ट का शील्डसुदा पैकेट मार्क-पी एवं आरोपी से बरामदा शील्डसुदा रिश्वति राशि 8,000/- रुपये एवं रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.05.2024 के मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट, दिनांक 17.05.2024 को रिश्वति राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त दोनो वार्ताओ का एक-एक डब मैमोरी कार्ड खुली हालात मे इत्यादि प्रादर्श मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा मे हैं जो आईन्दा एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण पहुंच मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया जाने का निर्णय लिया गया। वक्त 7.35 पी एम पर श्री जितेन्द्रसिह तहसीलदार, तहसील कार्यालय बाली द्वारा परिवादी श्री चुन्नीलाल, परिवादी के पुत्र श्री सुरेशकुमार एवं पुत्री सुश्री पायल कुमारी के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां तथा ऑनलाईन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न ऑफ लाईन आवेदन पत्र मय दस्तावेजो की प्रतिया पेश की गई। उक्त दस्तावेजात पर स्वतंत्र गवाहान के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रंनिग नोट किया गया। वक्त 7.40 पी एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री जितेन्द्रसिह तहसीलदार, तहसील कार्यालय बाली से सम्पर्क कर आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक की आवाज की पहचान हेतु अधिनस्थ दो कर्मचारियों को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु तहसीलदार द्वारा इस समय तक किसी भी अधिनस्थ कर्मचारी/अधिकारी को उपलब्ध नहीं करवाया गया है। अतः आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार कनिष्ठ सहायक की नमूना आवाज की पहचान करवाया जाना संभव नही है। आईन्दा प्रकरण के अनुसंधान के दौरान आवाज की पहचान हेतु सम्बन्धित विभाग के कर्मचारी/ अधिकारी को तलब कर फर्द नमूना आवाज मुर्तिब की जाने का निर्णय लिया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार पुत्र श्री सोनाराम जाति मेघवाल उम्र 29 साल पेशा नौकरी निवासी अग्रवाल घर्मशाला के पास चामुण्डेरी पुलिस थाना नाणा तहसील बाली जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार बाली जिला पाली द्वारा परिवादी श्री चुन्नीलाल के एंव उनके दोनो बच्चो का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र प्रथम सत्यापन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु एस.डी.एम. कार्यालय बाली जिला पाली को ऑनलाईन फॉरवर्ड करने की ऐवज में दिनांक 15.05.2024 को परिवादी से, 10,000/- रुपये रिश्वति राशि की मांग करते हुए रिश्वति राशि मांग सत्यापन के वक्त 2,000/- रुपये प्राप्त करना तथा शेष राशि आज दिनांक 17.05.2024 को वक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान 8,000/- रूपये रिश्वति राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब मे रखना जहां से रुबरु गवाहान के बरामद होना प्रमाणित पाया गया हैं। आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार पुत्र श्री सोनाराम जाति मेघवाल उम्र 29 साल पेशा नौकरी निवासी अग्रवाल घर्मशाला के पास चामुण्डेरी पुलिस थाना नाणा तहसील बाली जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार बाली जिला पाली के दोनो हाथो के अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवनो का रंग गुलाबी एवं हल्का गुलाबी आना, रिश्वति राशि, आरोपी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब से बरामद होना व जहां से रिश्वति राशि बरामद हुई उक्त जिन्स पेन्ट की जेब का लिया गया धोवन गुलाबी पाया गया। इस तरह आरोपी श्री नरेन्द्रकुमार पुत्र श्री सोनाराम जाति मेघवाल उम्र 29 साल पेशा नौकरी निवासी अग्रवाल घर्मशाला के पास चामुण्डेरी पुलिस थाना नाणा तहसील बाली जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार बाली जिला पाली का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमांकन जरिये ई-मेल प्रेषित की जा रही है। एसडी पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनाराम निवासी अग्रवाल घर्मशाला के पास चामुण्डेरी, पुलिस थाना नाणा, तहसील बाली, जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय तहसीलदार बाली, जिला पाली के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री चैन प्रकाश, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली–द्वितीय को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 280 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । क्रमांक 443-46 दिनांक 18.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली। 2 जिला कलक्टर, पाली। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** CHEN PRAKASH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/05/2024 14:33:21

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/06/1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)